आदेश व हजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।

प्रकरण संख्या 59/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

दी उज्जीवन स्माल फाईनेन्स बैं लि॰ पंजीकृत कार्यालय 27, ग्राये गार्डन थर्ड ए क्रोस, 18 मैन, सिक्थ ब्लॉक, कोरामंगला बैंगलूरू एवं क्षेत्रीय कार्यालय डी–7, द्वतीय एवं तृतीय फ्लोर GMTT बिल्डिंग, सैक्टर–3, नोएडा–201301

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. बहादुर प्रसाद बाकोलिया पुत्र भागीरथ प्रसाद
   पता :– प्लाट नं॰ 84–ए, गायत्री नगर– II, बालाजी धाम, हरमाडा, जोडला, जयपुर।
   एवं स्टारडम इस्टीटयूट संस्थान, क्रास मॉल रोड, विद्याधर नगर, जयपुर।
2. कृष्णा देवी पत्नी बहादुर प्रसाद बाकोलिया
   पता :– प्लाट नं॰ 84–ए, गायत्री नगर– II, बालाजी धाम, हरमाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थितः–

1. ———— अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैक की ओर से।
2. श्री राजेन्द कुमार जलुथरिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

आदेश दिनांक 09.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.02.2018 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी बहादुर प्रसाद बाकोलिया के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 84–ए, गायत्री नगर स्कीम, नियर जोडाला, सीकर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 73.3 वर्गगज को बन्धक रख कर 7,50,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड़ नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार जलुथरिया ने वकालतनामा पेश किया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्जावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय बैंक उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि॰ को भारत का राजपत्र में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना मुम्बई 03 जुलाई, 2017 द्वारा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

5. अप्रार्थी ने जवाब–वहस हेतु समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में काफी समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 7,50,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति वन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 7,54,051/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाव नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था वन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी बहादुर प्रसाद बाकोलिया के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 84–ए, गायत्री नगर स्कीम, नियर जोडाला, सीकर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 73.3 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जांवे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक **09.06.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(रजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर